भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-420
उत्तर देने की तारीख-05/02/2024

शिक्षा प्रणाली में सुधार

†420. श्री एम. बदरुद्दीन अजमल:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत अपनी जनसंख्या की शिक्षा के लिए आवश्यक विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य आवश्यक अवसंरचना के मामलों में अन्य विकासशील देशों की तुलना में पिछड़ रहा है जिसके कारण यहां साक्षरता दर में कमी आ रही है;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी स्थिति में सुधार लाने और इस अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
(ग) विगत दस वर्षों के दौरान देश में स्थापित किए नए विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या और उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य/वर्ष-वार निधि आवंटन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): प्रौढ़ शिक्षा की एक केंद्र प्रायोजित योजना "पढ़ना लिखना अभियान" वित्तीय वर्ष 2020-22 के दौरान 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू की जा रही है, जिसमें 48.16 लाख प्रौढ़ गैर-साक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य है। भारत सरकार ने कार्यान्वयन अवधि वर्ष 2022-27 के दौरान 5 करोड़ गैर-साक्षरों को शामिल करते हुए देश भर में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में गैर-साक्षरों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई केंद्र प्रायोजित योजना, "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)" को मंजूरी दी है। इस योजना को 1037.90 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है, जिसमें 700.00 करोड़ रुपये का केंद्रीय भाग और 337.90 करोड़ रुपये का राज्य भाग शामिल है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में सभी स्तरों पर शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की सिफारिश की गई है। एनईपी की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-2027 की अवधि हेतु सभी के लिए शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करने के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना "उल्लास (समाज में सभी के लिए आजीवन शिक्षा की समझ)" शुरू की है। योजना का उद्देश्य न केवल मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान प्रदान करना है बल्कि 21वीं सदी के नागरिक के लिए आवश्यक, महत्वपूर्ण जीवन कौशल (वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता, बाल देखभाल और शिक्षा, और परिवार कल्याण सहित); व्यवसायपरक कौशल विकास (स्थानीय रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से); बुनियादी शिक्षा (प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की समकक्षता सहित) और सतत शिक्षा (कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेल और मनोरंजन में समग्र प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रमों को शामिल करने के साथ-साथ स्थानीय शिक्षार्थियों के लिए रुचि या उपयोग के अन्य विषयों जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल पर अधिक उन्नत सामग्री) जैसे अन्य घटकों को भी शामिल करना है।

(ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और स्कूलों का खोला जाना संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार-क्षेत्र में आता है। इसके अतिरिक्त, केंद्र द्वारा समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है, जो पूर्व-प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक तक सभी स्तरों को शामिल करने वाली स्कूली शिक्षा की एक व्यापक योजना है। सरकारी स्कूलों में नामांकन में सुधार हेतु विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना/उन्हें सुदृढ़ करना, स्कूल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, 12वीं कक्षा तक के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना, उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय नामक आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों की स्थापना, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यवसायपरक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, आदि शामिल हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक उपकरणों हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

इसी प्रकार, पीएम-ऊषा पूर्ववर्ती रूसा (आरयूएसए) का उद्देश्य मौजूदा राज्य उच्च शिक्षण संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य उच्च शिक्षण संस्थाओं को विभिन्न घटकों जैसे मौजूदा स्वायत्त कॉलेजों के उन्नयन के माध्यम से विश्वविद्यालयों का निर्माण, कॉलेजों को क्लस्टर में परिवर्तित करके विश्वविद्यालयों का निर्माण, विश्वविद्यालयों को अवसंरचनात्मक अनुदान, कॉलेजों को अवसंरचनात्मक अनुदान, मौजूदा डिग्री कॉलेजों का मॉडल डिग्री कॉलेजों में उन्नयन आदि जैसे विभिन्न घटकों के तहत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए जा रहे स्कूल शिक्षा के संकेतकों संबंधी आंकड़े दर्ज करने हेतु शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाईज+) प्रणाली विकसित की है। इसके अतिरिक्त, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के संकेतकों संबंधी आंकड़े दर्ज करने के लिए अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) प्रणाली विकसित की है। यूडाईज+ के अनुसार स्थापित स्कूलों की संख्या और एआईएसएचई के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में पंजीकृत विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओं और कॉलेजों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	स्कूल	विश्वविद्यालय	कॉलेज
2013 - 2022	107391	445	8839

इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय के तहत पिछले 10 वर्षों के लिए वर्ष-वार बजट आवंटन नीचे दिया गया है:

	उच्चतर शिक्षा विभाग		स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग		कुल	
वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान/अंतिम अनुदान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान/अंतिम अनुदान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान/अंतिम अनुदान
2013-14	26750.00	24485.00	52701.00	50136.30	79451.00	74621.30
2014-15	27656.00	23700.00	55115.10	47005.00	82771.10	70705.00
2015-16	26855.26	25699.00	42219.50	42286.50	69074.76	67985.50
2016-17	28840.00	29703.20	43554.00	43896.04	72394.00	73599.24
2017-18	33329.70	34862.46	46356.25	47006.25	79685.95	81868.71
2018-19	35010.29	33512.11	50000.00	50113.75	85010.29	83625.86
2019-20	38317.01	38317.01	56536.63	56536.63	94853.64	94853.64
2020-21	39466.52	32900.00	59845.00	52189.07	99311.52	85089.07
2021-22	38350.65	36031.57	54873.66	51969.95	93224.31	88001.52
2022-23	40828.35	40828.35	63449.37	59052.78	104277.72	99881.13

******